[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 71/2017–केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 29 दिसंबर, 2017

सा.का.नि.....(अ),– केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1413(अ), तारीख 15 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 57/2017–केन्द्रीय कर, तारीख 15 नवंबर, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिनका समग्र आवर्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रुप में अधिसूचित करती है, जो माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति के लिए ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए नीचे दी गई विशेष प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं ।

2. उक्त व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक की गई है, के ब्यौरे को **प्ररुप जीएसटीआर-1** में प्रस्तुत कर सकते हैं, अर्थात् :-

**सारणी**

| **क्रम सं.** | **तिमाही, जिसके लिए प्ररुप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं** | **प्ररुप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समयावधि** |
|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| 1. | जुलाई-सितंबर, 2017 | 10 जनवरी, 2018 |
| 2. | अक्तूबर-दिसंबर, 2017 | 15 फरवरी, 2018 |
| 3. | जनवरी-मार्च, 2018 | 30 अप्रैल, 2018 |

3. अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 मास के लिए, यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी को प्रस्तुत करने

के लिए विशेष प्रक्रिया या समय सीमा के विस्तार को तत्पचात् राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा
।

[फा. सं. 349/58/2017-जी एस टी (पीटी)]

(रुचिबिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार